न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी :– गोपाल परिहार आर,ए,एस

राजस्व विविध प्रकरण सं. :– 5/2021

प्रार्थी :– बाबूलाल पुत्र श्री अमृतलाल जी, जाति वैष्णव, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम्

अप्रार्थीगण :–

1. सूरजकुमारी पत्नी श्री मोतीलाल जी, जाति वैष्णव, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. इन्द्रकुमार पुत्र श्री मोतीलाल जी, जाति वैष्णव, निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।
3. नेमस्वरूप पुत्र श्री मोतीलाल जी,, जाति वैष्णव, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
4. उग्रसेन पुत्र श्री मोतीलाल जी,, जाति वैष्णव, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन शर्मा

अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापत

अप्रार्थी सं. 5 की ओर से राजकीय पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

आदेश दिनांक 26/3/2024

*प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इन तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर मे खसरा नं. 268 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा, 268/1 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 268/2 रकबा 10 बीघा तथा खसरा नं. 267 रकबा 08 बिस्वा गेर मुमकिन बेरा की कृषि भूमियां आयी हुई है। जिसमे से खसरा नं. 268/2 रकबा 10 बीघा तथा खसरा नं. 267 रकबा 08 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। जबकि खसरा नं. 268 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रार्थी के रेकर्डेड खातेदारी की, खसरा नं. 268/1 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के खातेदारी की है। आगे प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उक्त भूमियां पूर्व मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता मोतीलाल जी की अविभाजित भूमिया थी जिनके बाबत् उनके मध्य आपस मे बंटवाडा किया गया जिसके तहत खसरा नं. 268 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रार्थी के हक मे जबकि खसरा नं. 268/1 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि मोतीलाल के हिस्से मे तथा खसरा नं. 268/2 रकबा 10 बीघा तथा 267 रकबा 8 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा की भूमियां संयुक्त खातेदारी की रखी गयी जो

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

आज दिन तक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। प्रार्थी एवं मोतीलाल जी अपने अपने खातेदारी की भूमियों पर काबिज हो गये जबकि संयुक्त खातेदारी की भूमियों पर दोनो का संयुक्त कब्जा काश्त आज भी चला आ रहा है। किन्तु तत्समय राजस्व नक्शे मे मौकिक बंटवाडा तरमीम नही की गई एवं राजस्व नक्शे मे आज भी सम्पूर्ण खसरा नं. 268 तथा 267 को एक ही चक मे दर्शाया हुआ है। जिसका फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसकी रेकर्डेड खातेदारी की भूमि से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं एवं संयुक्त खातेदारी की भूमियों के उपयोग उपभोग मे भी बाधा उत्पन्न कर रहे है। जिस पर प्रार्थी द्वारा तहसीलदार महोदय लूणी के समक्ष विवादित भूमियो के सीमांकन एवं पत्थरगढी के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार सीमांकन करने मे सहमति प्रदान नही की गई एवं संयुक्त खातेदारी की भूमियो का बंटवाडा करने से भी इंकार कर दिया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा समझ समझाईश करने पर भी अप्रार्थीगण नही मान रहे है एवं राजस्व रेकर्ड मे तरमीम नही होने के हवाला देते हुए प्रार्थी को उसके रेकर्डेड खातेदारी की भूमि एवं संयुक्त खातेदारी की भूमियो से बेदखल करने एवं उपयोग उपभोग करने पर आमादा है। जिस कारण प्रार्थी द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 268/2 रकबा 10 बीघा तथा 267 रकबा 08 बिस्वा का बंटवाडा करवाने जाने तथा नक्शे मे सम्पूर्ण खसरा नं. 268 अर्थात खसरा नं. 268 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 268/1 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा तथा खसरा नं. 268/2 रकबा 10 बीघा का नक्शे मे तरमीम होने तथा मौके पर सीमांकन तथा पत्थरगढी होने तक अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने हेतु वाद तथा यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके द्वारा उपस्थित होकर उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे अप्रार्थीगण द्वारा यह एतराज लिया गया कि खसरा नं. 267/1 अप्रार्थीगण के रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है जिसके बाबत् प्रार्थी को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि मे भी एक सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है। आगे यह उल्लेखित किया गया कि खसरा नं. 268/1 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा पर अप्रार्थीगण 50 वर्षो से काबिज चले आ रहे है एवं संयुक्त खातेदारी की भूमियों का भी मौके पर विभाजन हो चुका है एवं उसके आधार पर ही पक्षकारान् काबिज है। पूर्व मे हुए विभाजन के अनुसार खसरा नं. 268 का उत्तरी हिस्सा जो खसरा नं. 272 की सीमा से लगता है, उसे मोतीलाल जी के हिस्से मे रखा गया था जिस पर निरन्तर काबिज रहे एवं उनके पश्चात् अप्रार्थीगण काबिज है जिसकी माठे भी बनी हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 268/1 हेतु खसरा नं. 272 मे से 60 फुट चौडा रास्ता भी लिया एवं खसरा नं. 268/1 तथा 268/2 की अपने हिस्से की भूमि की तारबन्दी करवाई। प्रार्थी को विभाजन में खसरा नं. 268 की भूमि खसरा नं. 265 एवं 264 के चिपती हुई भूमि दी गई जिसके लिए खसरा नं. 264 व 265 की तरफ रास्ता भी है जिस पर प्रार्थी काबिज है, जबकि खसरा नं. 268/2 खसरा नं. 269 के चिपते आई हुई है जिसके दो भाग किये हुए है किन्तु अब राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे की गलत व्याख्या करते हुए प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी से कोई रंजिश एवं द्वेष नहीं है एवं ना ही वह उन्हे बेदखल कर रहे है। अप्रार्थीगण सामलाती भूमि मे अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है एवं काश्त कर रहा है। किन्तु प्रार्थी द्वारा अनावश्यक विवाद किया जा रहा है एवं

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अप्रार्थी द्वारा कब्जे अनुसार तरमीम हेतु तहसीलदार के समक्ष निवेदन भी किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के उपरोक्त जवाब का प्रार्थी द्वारा जवाबुल जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमे प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि चूंकि राजस्व नक्शे मे विवादित खसरान् की तरमीम नही हो रखी है ऐसी स्थिति मे यह कही भी स्पष्ट नही है कि वास्तव मे अप्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा नं. 268/1 की भूमि कहां पर स्थित है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से अपनी मनमर्जी से संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 268/2 की भूमि को स्वयं के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 268/1 बता कर वहा पर अवैध निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है एवं उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि के चिपते रास्ते की तरफ फाटक लगाकर कृषि भूमि को औधोगिक नगर मे परिवर्तन करने मे आमादा है जिसका बोर्ड भी फाटक पर लगा हुआ है। खसरा नं. 268/2 तथा 267 का आज दिन तक मौके पर कोई विभाजन नही हुआ है एवं उक्त भूमि पर पक्षकारान् आज भी संयुक्त रूप से काबिज है किन्तु अप्रार्थीगण उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि को स्वयं के रेकर्डेड खातेदारी की भूमि दर्शा कर प्रार्थी को वहां से बेदखल करने का प्रयास कर रहे है एवं उक्त भूमि मे आने जाने वाले एकमात्र रास्ते को भी फाटक लगाकर अवैध रूप से बंद किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे उल्लेखित किया गया कि वास्तव मे विभाजन मे मूल खसरा नं. 268 का उत्तरी हिस्सा जो कि खसरा नं. 272 तथा खसरा नं. 269 व 270 से चिपता हुआ आया हुआ है वह प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 268/2 रकबा 10 बीघा है। जबकि इसी खसरे का पश्चिमी हिस्से पर अप्रार्थीगण काबिज है जो खसरा नं. 268/1 है एवं इसी तरह संयुक्त खातेदारी के दक्षिण दिशा मे यानि मूल खसरे के दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर खसरा नं. 270 एव 271 के पश्चिमी दिशा मे चिपते प्रार्थी काबिज है जो खसरा नं. 268 की भूमि है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझ कर रास्ते की चिपती संयुक्त खातेदारी की भूमि को हडप करने की नियत से उसे खसरा नं. 268/1 की भूमि दर्शाया जाकर प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न की जा रही है एवं वहा पर अवैध रूप से फैक्ट्रि का निर्माण करवाया जा रहा है। खसरा नं. 272 मे से होते हुए विवादित खसरे तक पहुचने हेतु पूर्व से ही एकमात्र रास्ता विधमान था जिसके लिए अप्रार्थीगण द्वारा अलग से कोई कोशिश नही की गई। चूंकि राजस्व रेकर्ड मे किसी प्रकार की तरमीम नही हो रखी है इस कारण मूल खसरा नं. 268 रकबा 42 बीघा 09 बिस्वा के बाबत ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे।

प्रार्थी के उक्त जवाबुल जवाब का अप्रार्थीगण द्वारा पुनः जवाबुल जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रार्थी के जवाबुल जवाब मे लिखे तथ्यो का खण्डन किया गया एवं इसके साथ सोहनराम, भंवाराम, जयरूपराम, सीताराम तथा नारायणराम के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये। जिनके खण्डन मे प्रार्थी द्वारा स्वयं का तथा राजाराम, ओमदास, करनाराम, राहुल जाणी तथा पूनाराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दू तय करने होते है। इस संबंध मे प्रार्थी द्वारा अपनी मौखिक बहस मे अपने द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र तथा जवाबुल जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि चूंकि मूल खसरा नं. 268 तथा 267 की आज दिनांक तक राजस्व नक्शे मे तरमीम नही हो रखी है जिसका फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण संयुक्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

खातेदारी की भूमि खसरा नं. 268/2 को स्वयं की खातेदारी की खसरा नं. 268/1 दर्शाते हुए वहा पर अवैध रूप से फैक्ट्रि का निर्माण कर रहे है एवं वहा पर आने वाले रास्ते पर भी फाटक लगा कर भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न कर रहे है एवं प्रार्थी के रेकर्डेड खातेदारी की भूमि को संयुक्त खातेदारी मे से स्वयं के हिस्से की बताते हुए वहा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे है, जिस कारण प्रथम दृष्टया वाद प्रार्थी के हक मे सिद्ध है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब एवं जवाबुल जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि भूमियो का पूर्व से ही बंटवाडा हो चुका है एवं पक्षकारान् उसी अनुरूप काबिज है। अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 268/1 मूल खसरा के उत्तर पूर्वी दिशा मे खसरा नं. 272 के चिपते आयी हुई है जिस पर वही काबिज है जबकि पश्चिमी दिशा वाली भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है एवं दक्षिणी दिशा वाली भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी को खसरा नं. 268/1 की अप्रार्थीगण के रेकर्डेड खातेदारी की भूमि के बाबत् तथा संयुक्त कृषि भूमि के बाबत् भी सहखातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है। प्रार्थी का वाद ही चलने योग्य नही होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी चलने योग्य नही है।

हमारे द्वारा पक्षकारान् की बहस का मनन किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् तथा शपथपत्रो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी मूल रूप से यह तथ्य लेकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है कि मूल खसरा नं. 268 का पूर्व मे विभाजन हो चुका था जिसमे खसरा नं. 268/2 तथा 267 को संयुक्त खातेदारी का रखा गया था जो आज भी संयुक्त खातेदारी का ही दर्ज है। किन्तु तत्समय बंटवाडानुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम नही होने के कारण अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि 268/2 को स्वयं के रेकर्डेड खातेदारी की भूमि खसरा नं. 268/1 दर्शाते हुए वहा पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे है एवं प्रार्थी को वहा से बेदखल करने का प्रयास कर रहे है एवं खेत मे आने जाने के एकमात्र रास्ते को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि अप्रार्थीगण के अनुसार जिस भूमि को प्रार्थी संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 268/2 दर्शा रहा है वह वास्तव मे अप्रार्थीगण के रेकर्डेड खातेदारी की भूमि खसरा नं. 268/1 है जिस पर अप्रार्थीगण ही काबिज है एवं वहा पर उनके द्वारा कृषि उपज रखने हेतु कमरे का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी तथा राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा नं. 268 प्रार्थी के खातेदारी की, खसरा नं. 268/1 अप्रार्थीगण के खातेदारी की जबकि खसरा नं. 268/2 तथा 267 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमियां जमाबन्दी मे दर्ज है किन्तु राजस्व नक्शे मे उक्त किसी भी खसरा की अलग अलग तरमीम नही दर्शायी हुई है एवं सम्पूर्ण खसरा नं. 268 को एक ही चक मे दर्शाया हुआ है जिसके मध्य मे खसरा नं. 267 स्थित होना दर्शित है। ऐसी स्थिति मे राजस्व रेकर्ड से न्यायालय के समक्ष यह बिल्कुल भी स्पष्ट नही होता है कि वास्तव मे मूल खसरा नं. 268 मे प्रार्थी के खातेदारी की खसरा नं. 268, अप्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा नं. 268/1 एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 268/2 कहां कहां पर स्थित है। किन्तु इस संबंध मे अप्रार्थीगण तथा प्रार्थी दोनो द्वारा अपनी अपनी ओर से उक्त खसरा मे खेती करने वाले कर्षक तथा पडौसियो के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। जिसमे से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र प्रार्थी के तथ्यो की पुनरावृति कर रहे है जबकि अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र अप्रार्थीगण के तथ्यो की पुनरावृति कर रहे है। ऐसी स्थिति मे इस स्तर पर बिना सक्षम साक्ष्य लिये एवं गवाहो का प्रतिपरीक्षरण करवाये बिना न्यायालय के लिये यह तय कर पाना संभव नही है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कि वास्तव मे मूल खसरा नं. 268 के बाबत् हुए बंटवाडे अनुरूप प्रार्थी की रेकर्डेड खातेदारी का खसरा नं. 268, अप्रार्थीगण के खातेदारी का खसरा नं. 268/1 तथा संयुक्त खातेदारी का खसरा नं. 268/2 कहां पर स्थित है। यह तथ्य मूल वाद मे सक्षम साक्ष्य आने के पश्चात् ही न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। चूंकि इस स्तर पर यह तय नही किया जा सकता है कि अप्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 268/1 किस जगह स्थित है एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि किस दिशा मे स्थित है तो अप्रार्थीगण का यह मुख्य एतराज कि प्रार्थी अप्रार्थीगण के रेकर्डेड खातेदारी की भूमि बाबत् निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है, वह इन परिस्थितियो मे यहा पर लागू नही होता है। खसरा नं. 272 मे से चलायमान रास्ते के तथ्य भी बाद साक्ष्य ही निस्तारित किये जा सकते है। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है कि मूल खसरे की तरमीम नही होने के कारण किसी भी पक्षकारान् की मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर इस स्तर पर यह तय नही किया जा सकता है कि पक्षकारान् के खातेदारी की भूमि विभाजन अनुसार मूल खसरे मे कहा पर स्थित है एवं जिस कारण यह तय नही होने तक मूल खसरा नं. 268 रकबा 42 बीघा 08 बिस्वा के बाबत् निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है।

जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से यह दर्शित होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व नक्शे मे दर्शित मूल खसरा नं. 268 की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं रास्ते की तरफ फाटक लगाकर वहा पर औघोगिक नगर होना दर्शाया जा रहा है जबकि यह भूमि वर्तमान मे कृषि भूमि है जिस पर औघोगिक निर्माण नही किया जा सकता एवं इस स्तर पर यह भी सिद्ध नही है कि वास्तव मे अप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा नं. 268/1 एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 268/2 मूल खसरा मे किस दिशा मे स्थित है। ऐसे मे अगर अप्रार्थीगण इन तथ्यो को मूल वाद मे सक्षम साक्ष्य से तय करवाये बिना विवादित भूमि पर निर्माण कार्य करवाता है अथवा उसका बैचान हस्तानान्तरण अथवा अन्य व्ययन करता है अथवा रास्ते की भूमि पर फाटक को बंद कर प्रार्थी के खसरे मे आने जाने मे बाधा उत्पन्न करता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी किन्तु यहा यह भी है कि प्रार्थी को भी इन तथ्यो को सक्षम साक्ष्य से निर्णित करवाये बिना विवादित खसरा की भूमि को बैचान हस्तानान्तरण अथवा अन्य व्ययन करने तथा निर्माण कार्य करवा सकने से रोका जाना आवश्यक है।

आदेश

अतः समग्र विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं उभय पक्षकारान् को ताफैसला मूल वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित खसरा नं. 268 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 268/1 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 268/2 रकबा 10 बीघा तथा खसरा नं. 267 रकबा 08 बिस्वा का विशिष्ट पाडौस खोलते हुए बैचान, हस्तानान्तरण अन्य व्यक्ति को नही करे एवं मौके पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नही करे एवं रास्ते की भूमि के उपयोग उपभोग मे एक दूसरे के बाधा उत्पन्न नही करे एवं मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। आदेश आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली तुरन्त सुधार होकर दफ्तर दाखिल हो।

26/3/21

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी